



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फाइल संख्या: ए-12011/8/2024-परीक्षा/360

दिनांक: 22/04/2025

सेवा में,

दीपक शर्मा
यूपीएससी रोल नंबर 3513883, 5वां रिजर्व पैनल
मकान नंबर 616 बाबा मंदिर के पास
झरोदा कलां
दक्षिण पश्चिम दिल्ली
110072

विषय:- प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी-डीआर कोटा के पद पर नियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

महोदय,

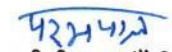
यह आंचलिक कार्यालय, दिल्ली के दिनांक 12.06.2024 के पत्र के संदर्भ में है, जिसके द्वारा आपको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। दस्तावेज़ सत्यापन 20.06.2024 को हुआ था, और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, आपको अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, आपको जल्द से जल्द एनओसीसी जमा करने के लिए दिनांक 16.08.2024 और 13.09.2024 को ईमेल भेजे गए थे

इसके अलावा, मुख्यालय ने 24.03.2025 को ईमेल के ज़रिए आपको 7 दिनों के भीतर पूर्व-नियुक्ति औपचारिकताएँ पूरी करने का निदेश दिया है, ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तथापि, आज तक, आप न तो दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुए हैं और न ही अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण बताया है।

उपर्युक्त के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इस संबंध में आगे कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

सादर,


(पीपीएस मैंगी)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (भर्ती प्रभाग)

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
3. सभी अंचल (अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(एनडीसी) - आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।